[2022]5 सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट 832

उत्तर प्रदेश राज्य

बनाम

सुभाष उर्फ पप्पु

(आपराधिक अपील अधिकारिता : 2022 की आपराधिक अपील संख्या 436)

अप्रैल 1, 2022

[न्यायमुर्र्तीगण एम. आर. शाह और बी. वी. नागरत्ना,]

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आपराधिक अपील सं. 1462 सन् 1985 में 30.08.2019 दिनांकित निर्णय और आदेश के विरूद्ध।

अपीलार्थी के लिए : सुश्री गरिमा प्रसाद, वरिष्ठ अधिवक्ता, विष्णु शंकर जैन, सुश्री मार्बियांग एन. खोंगवीर, अधिवक्ता।

उत्तरदाता के लिए : दीपक गोयल, सुश्री उर्वशी शर्मा, अधिवक्ता,

न्यायालय का निर्णय न्यायमुर्र्ती एम. आर. शाह, जे. द्वारा दिया गया

1. 1985 की आपराधिक अपील संख्या 1462 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित फैसले और आदेश, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी-मूल अभियुक्त द्वारा की गई उक्त अपील को स्वीकार किया है और भारतीय दंड विधान (भा. द. वि.) की धारा 302 और 148 के तहत अपराधों के लिए प्रतिवादी को बरी कर दिया है, से दुखी और असंतुष्ट महसूस कर उत्तर प्रदेश राज्य ने वर्तमान अपील को दर्ज कराया है।

अपील करें।

2. वर्तमान अपील को दर्ज करने के लिए तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैंः

2.1 हरि सिंह (अभियोजन साक्षी-संख्या 5) नामक व्यक्ति ने 04.12.1980 को 05.15 बजे अपराहन में फिरोजाबाद (दक्षिण) थाना, जिला- आगरा में प्रतिवादी सुभाष उर्फ पप्पु, प्रमोद, मुन्ना लाल और तीन अज्ञात लड़कों के खिलाफ प्रथमिकी दर्ज कराया। प्रथमिकी में यह आरोप लगाया गया था कि 04.12.1980 को 2: 00

अपराहन, सुभाष उर्फ पप्पु, प्रमोद और मुन्ना लाल तीन अज्ञात व्यक्तियों के साथ लाठी, हॉकी की छड़ी और चाकू से लैस गल्लामंडी फिरोजाबाद में स्थित हरि ओम की दुकान पर आए।उन्होंने बिना किसी राशन कार्ड के उन्हें चीनी और मिट्टी का तेल देने की मांग की, लेकिन बंगाली (मृतक) जो एक नौकर के रूप में दुकान पर मौजूद था, ने उन्हें उन वस्तुओं को देने से इनकार कर दिया, फिर उनमें से एक व्यक्ति ने उसे चाकू से मारा और दूसरे ने हॉकी की छड़ी से मारा। इसलिए, यह आरोप लगाया गया कि नामित अभियुक्त व्यक्तियों और अन्य तीन अज्ञात व्यक्तियों ने भा. द. वि. की धारा 147,148,323,324 के तहत अपराध किया। पीड़ित बंगाली ने आगरा के अतिरिक्त नगर मजिस्ट्रेट के सामने 05.12.1980 के 11.40 बजे सुबह में अपनी मृत्यु कालीन कथन आगरा के एस. एन. अस्पताल में दिया जहाँ पीड़ित बंगाली का इलाज चल रहा था। घायल बंगाली की मृत्यु 04.01.1981 को हुई।

2.2 अनुसंधान के समापन के बाद, अनुसंधानकर्ता ने उपरोक्त अपराधों के लिए सभी अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ 25.01.1981 को आरोप पत्र दायर किया। हालाँकि, सुभाष उर्फपप्पु और प्रथमिकी में नामित अन्य सह-अभियुक्तों को फरार दिखाया गया। इसके बाद आरोपी सुभाष उर्फपप्पु ने अदालत के समक्ष 06.02.1981 को आत्मसमर्पण कर दिया। चूंकि मामला विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय था, इसलिए मामला चौथे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, आगरा की अदालत को दौरा सुपूर्द किया गया, जिसे 1982 के सत्र मामला संख्या 361 के रूप में संख्यातित किया गया। उपरोक्त अपराधों के लिए सभी अभियुक्तों पर सत्र न्यायालय द्वारा मुकदमा चलाया गया। अभियुक्त सुभाष उर्फ पप्पु पर भा. द. वि. की धारा 148 और धारा 302 के तहत अपराधों का आरोप लगाया गया था। अन्य सह-अभियुक्त प्रमोद और मुन्ना लाल पर भा. द. वि. की धारा 147,149 और 302 के तहत आरोप लगाए गए थे। जैसा कि सभी अभियुक्तों ने कोई अपराध करने से और आरोपों से इनकार किया, उन्हें विचारण पर रख़ा गया। अभियोगों को साबित करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने सभी 10 गवाहों से निम्नानुसार पूछताछ कीः

	नाम	अभिसाक्ष्य
अभियोजन साक्षी संख्या 1	डॉ. विजय कुमार	जिसने मृतक बंगाली का चिकित्सकीय जाँ च किया
अभियोजन साक्षी संख्या	हेड कांस्टेबल, श्री	जिन्होंने अभियोजन साक्षी-संख्या 5 हरि सिंह द्वारा बताई

2	गजेंद्र	गई प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखी थी
अभियोजन साक्षी संख्या 3	श्री वी. एन. सक्सेना	तकनीशियन, एस. एन. अस्पताल, आगरा
अभियोजन साक्षी संख्या 4	श्री राम रतन ओझा	फार्मासिस्ट, एन. एन. एम. अस्पताल, फिरोजाबाद
अभियोजन साक्षी संख्या 5	हरि सिंह	सूचक
अभियोजन साक्षी संख्या 6	मुन्ना लाल	
अभियोजन साक्षी संख्या 7	श्री भोपट सिंह	
अभियोजन साक्षी संख्या 8	डॉ. सुरेंद्र कुमार अग्रवाल	डॉक्टर, जिन्होंने प्रमाणित किया था कि बंगाली मृत्यु कालीन कथन (घोषणा) दर्ज करने के समय होश में और दुरूस्त था
अभियोजन साक्षी संख्या 9	श्री युधिष्ठिर शर्मा	अतिरिक्त संभागीय परिवहन अधिकारी, जिन्होंने मृत्यु कालीन कथन (घोषणा) दर्ज किया
अभियोजन साक्षी संख्या 10	पुलिस कांस्टेबल, दया राम	

2.3 अभियोजन साक्षी संख्या संख्या 5, सूचक पक्षद्रोही हो गया। इसके बाद दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत आरोपी का बयान दर्ज किया गया था। धारा 313 Cr.P.C के तहत बयान में, आरोपी की ओर से यह कहा गया कि मृत्यु कालीन घोषणा में, पप्पु पुत्र बैजनाथ का नाम उल्लिखित है और वह सुभाष उर्फ पप्पु है। हालाँकि, यह उनका मामला नहीं था कि गाँव में एक और व्यक्ति है जिसका

नाम पप्पु पुत्र बैजनाथ है। यह विवाद में नहीं है कि सुभाष उर्फपप्पु बैजनाथ के पुत्र हैं। मृत्युकालीन घोषणा पर भरोसा करते हुए, विचारण अदालत ने आरोपी सुभाष उर्फ पप्पु को भा. द. वि. की धारा 302 और 148 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया। हालांकि, विचारण अदालत ने आरोपी प्रमोद और मुन्ना लाल को बरी कर दिया। जहां तक आरोपी सुभाष उर्फ पप्पु का संबंध है, विचारण अदालत ने भा. द. वि. की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए आजीवन कारावास और भा. द. वि. की धारा 148 के तहत अपराध के लिए तीन साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई ।

2.4 अभियुक्त सुभाष उर्फपप्पु को दोषी ठहराने और सजा सुनाने के फैसले और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट होते हुए, अभियुक्त सुभाष उर्फपप्पु ने उच्च न्यायालय के समक्ष आपराधिक अपील को दर्ज कराया। विवादित फैसले और आदेश से उच्च न्यायालय ने आरोपी सुभाष उर्फ पप्पु को भा. द. वि. की धारा 302 के साथ-साथ भा. द. वि. की धारा 148 के तहत दंडनीय अपराध से मुख्य रूप से इस आधार पर बरी कर दिया है कि मृत्यु कालीन घोषणा में यह नहीं कहा गया था कि मृतक के पेट में चाकू किसने मारा और इसके विपरीत, यह कहा गया था कि पप्पु पुत्र बैजनाथ ने उसे हॉकी की छड़ी से मारा। इसलिए, उच्च न्यायालय ने राय दिया कि चूंकि सुभाष उर्फ पप्पु के खिलाफ कोई आरोप नहीं है कि उसने मृतक के पेट में चाकू से वार किया था और गवाहों के बयान में विरोधाभास है कि मृतक के पेट में चाकू से वार किसने किया, उच्च न्यायालय ने आरोपी को बरी कर दिया।

2.5 उच्च न्यायालय के उक्त फैसले और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट होते हुए राज्य ने वर्तमान अपील को दर्ज कराया है।

3. राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री गरिमा प्रसाद ने बल देकर कहा है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय ने आरोपी को भा. द. वि. की धारा 302 और धारा 148 के तहत अपराध के लिए बरी करने में गंभीर त्रुटि की है।

3.1 राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री गरिमा प्रसाद द्वारा बल देकर प्रस्तुत किया गया कि अतिरिक्त नगर मजिस्ट्रेट के द्वारा दिनांक 05.12.1980 को दर्ज किए गए मृत्यु कालीन कथन में विशेष रूप से कहा गया है कि अभियुक्त अन्य के साथ उपस्थित था और अपराध को कारित करने में सक्रिय भाग लिया था। इसलिए, प्रतिवादी की धारा 302 सपठत धारा 149 भा. द. वि. के तहत अपराध के

लिए दोषी ठहराया जा सकता है।

3.2 उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि शुरू में साक्षी संख्या 5 ने परिवाद में विशेष रूप से आरोपित किया है कि प्रतिवादी अभियुक्त सुभाष उर्फ पप्पु ने चाकू से वार किया, जो कि एक घातक हथियार था और इस प्रकार प्रतिवादी धारा 148 भा. द. वि. के अपराध के लिए भी आरोपित किया गया।

3.3 यह प्रस्तुत किया गया कि हालाँकि, इसके बाद अभियोजन साक्षी संख्या 5, मूल परिवादी/सूचक पक्षद्रोही हो गया। यह प्रस्तुत किया गया कि प्रतिवादी-अभियुक्त के खिलाफ एक विशिष्ट आरोप तैयार किया गया था कि वह एक नाजायज मजमा का सदस्य था और उस मजमा के सामान्य उद्देश्य बंगाली की हत्या (को घायल करने) को आगे बढ़ाने में दंगे का अपराध किया। इसलिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि केवल इसलिए कि आरोप तैयार करते समय एक गलत धारा का उपयोग किया गया और प्रतिवादी पर धारा 149 के तहत अपराध के लिए विशेष रूप से आरोप नहीं लगाया गया, विचारण न्यायालय द्वारा लगाए गए विचारण और दी गई दोषसिद्धि और सजा को दूषित नहीं करेगा।

3.4 आगे प्रस्तुत किया गया कि यह एक स्वीकृत स्थिति है कि मृतक बंगाली की मृत्यु चाकू के चोट के कारण हुई थी। हालांकि मृत्युकालीन घोषणा में यह उल्लिखित है कि प्रतिवादी-अभियुक्त-सुभाष उर्फपप्पु ने उसे हॉकी से मारा, उस मामले में भी, नाजायज मजमा का हिस्सा होने के नाते, प्रतिवादी, जो नाजायज मजमा का हिस्सा था और जिसने मृतक बंगाली को मारने के सामान्य उद्देश्य को आगे बढ़ाने में अपराध किया था, फिर भी प्रतिवादी को भा. द. वि. की धारा 302 सपठत धारा 149 के तहत अपराध के लिए दोषसिद्धि किया जा सकता है।

3.5 राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री प्रसाद ने आगे कहा कि उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी- अभियुक्त को धारा 148 के अपराध से इस आधार पर बरी किया है कि दो अन्य सह-अभियुक्तों को बरी कर दिया गया था और इसलिए, प्रतिवादी-अभियुक्त-सुभाष उर्फ पप्पु पाँच व्यक्तियों से कम के नाजायज मजमा का हिस्सा नहीं कहा जा सकता। यह प्रस्तुत किया गया कि वर्तमान मामले में, मृत्यु कालीन कथन के अनुसार भी, छह से सात व्यक्तियों ने अपराध कारित करने में भाग लिया था, इसलिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि केवल इसलिए कि तीन व्यक्तियों पर आरोप पत्र दायर किया गया और जिनमें से दो को बरी कर दिया गया, यह मामले को भा. द. वि. की धारा 148 से बाहर नहीं लाएगा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए, उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी अभियुक्त को भा. द. वि.

की धारा 148 के तहत अपराध के लिए भी बरी करने में गंभीर त्रुटि की है। उपरोक्त निवेदन के समर्थन में, रोहतास बनाम हरियाणा राज्य, (2020) 14 स्केल 14 के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया गया है।

3.6 राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री गरिमा प्रसाद ने आगे कहा कि उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी- अभियुक्त को अभियोजन साक्षीh -संख्या 5 के प्रथमिकी/परिवाद में के विरोधाभासों कि प्रतिवादी-सुभाष उर्फ पप्पु ने चाकू से हमला किया और मृत्यु कालीन कथन में मृतक कहा है कि पप्पु पुत्र बैजनाथ ने उसे हॉकी की छड़ी से मारा था, बरी करने में भौतिक रूप से गलती की है । यह प्रस्तुत किया गया कि एक बार अभियोजन साक्षी-संख्या 5, सूचक को पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया, तो प्रथमिकी/परिवाद में उल्लिखित किसी भी चीज़ पर विचार नहीं किया जाना चाहिए था। कि, एकमात्र सबूत, जो उपलब्ध था, वह मृत्यु कालीन कथन था जिसमें यह विशेष रूप से कहा गया था कि पप्पु ने उसे हॉकी से मारा था। यह प्रस्तुत किया गया कि इसलिए नाजायज मजमा का हिस्सा होने के नाते और इसलिए कि किसी व्यक्ति ने मृतक के पेट में चाकू से वार किया, जिससे चाकू के प्रहार से चोट लगने से उसकी मृत्यु हो गई, फिर भी प्रतिवादी- अभियुक्त को भा. द. वि. की धारा 302 सपठत धारा 149 के साथ-साथ धारा 148 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सकता है। यह प्रस्तुत किया गया कि इस प्रकार विचारण अदालत ने मृत्यु कालीन कथन दिनांक 05.12.1980 पर भरोसा करते हुए सही तरीके से अभियुक्त को धारा 302 और 148 के अपराधों के लिए दोषी ठहराया। यह प्रस्तुत किया गया कि उच्च न्यायालय ने विवादित निर्णय और आदेश में सहायक मंडल परिवहन अधिकारी द्वारा दर्ज मृत्यु कालीन कथन की विश्वसनीयता पर संदेह नहीं किया है। यह प्रस्तुत किया गया कि इसलिए, मृत्यु कालीन कथन के आधार पर दोषसिद्धि हो सकती है, जिसे अभियोजन पक्ष द्वारा स्थापित और साबित किया गया है।

3.7 उपरोक्त कथनो कोs प्रस्तुत करके और इस न्यायालय के मामलों फ़ैनुल ख़ान बनाम झारखंड राज्य (2019) 9 एस. सी. सी. 549; अन्नारेड्डी सांबशिव रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, (2009) 12 एस. सी. सी. 546; एलिस्टर एंथनी परेरा बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2012) 2 एस. सी. सी. 648 और रोहतास बनाम हरियाणा राज्य, (2020) 14 स्केल 14, पर भरोसा करते हुए यह अनुरोध किया गया है कि वर्तमान अपील को की अनुमत किया जाय और उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश को रद्द करने का किया जाय।

4. प्रतिवादी अभियुक्त की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता श्री दीपक गोयल ने वर्तमान अपील का जोरदार विरोध किया।

4.1 अभियुक्त की ओर से पेश विद्वान वकील द्वारा यह बल देकर प्रस्तुत किया गया कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय ने अभियुक्त को भा. द. वि. की धारा 302 और धारा 148 के तहत अपराध के लिए बरी करने में कोई त्रुटि नहीं की है। यह तर्क दिया जाता है कि प्रथमिकी में, यह आरोप लगाया गया था कि सुभाष उर्फपप्पु ने चाकू से प्रहार किया था और मृत्यु कालीन कथन में यह कहा गया था कि पप्पु ने हॉकी से मारा था और इसलिए क्योंकि इसमें भौतिक विरोधाभास हैं, उच्च न्यायालय ने आरोपी को सही ढंग से बरी किया है।

4.2 अभियुक्त की ओर से पेश विद्वान वकील द्वारा आगे यह तर्क दिया जाता है कि मृत्यु कालीन कथन में भी ऐसा कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया था कि वास्तव में, चाकू किसके द्वारा मारा गया था। इसके विपरीत, मृत्यु कालीन कथन में यह विशेष रूप से कहा गया था कि पप्पु ने हॉकी से मारा था। इसलिए, चाकू से हमला करने वाले आरोपी के खिलाफ किसी विशिष्ट आरोप के अभाव में और जहॉ आरोपी पर भा. द. वि. की धारा 149 के तहत अपराध का आरोप नहीं लगाया गया था, आरोपी को भा. द. वि. की धारा 149 की सहायता से धारा 302 के तहत अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

4.3 अभियुक्त की ओर से पेश विद्वान वकील द्वारा यह भी आग्रह किया जाता है कि, जैसा कि मृत्यु कालीन कथन में कहा गया है, पप्पु ने मृतक को हॉकी से मारा, जिसे एक घातक हथियार नहीं कहा जा सकता है और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि केवल तीन अभियुक्तों पर आरोप पत्र दायर किया गया था/आरोप गठन किया गया था और जिनमें से दो अभियुक्तों को बरी कर दिया गया था, प्रतिवादी अभियुक्त को भा. द. वि. की धारा 148 के तहत अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

4.4 अभियुक्त की ओर से पेश विद्वान वकील द्वारा आगे प्रस्तुत किया जाता है कि अन्यथा भी, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि मृत्यु घोषणा अगले ही दिन दर्ज की गई थी और इस प्रभाव के लिए कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं है कि उस समय उसकी हालत गंभीर थी, इसलिए, 05.12.1980 को मृत्यु कालीन कथन दर्ज करने का कोई कारण नहीं था। इसलिए, उक्त मृत्यु कालीन कथन विश्वसनीय नहीं है और इस पर विचार नहीं किया जा सकता है। इस संदर्भ में, लक्ष्मण बनाम महाराष्ट्र राज्य,

(2002) 6 एस. सी. सी. 710 के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर निर्भरता रखी गई है।

4.5 अभियुक्त की ओर से पेश विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया कि वर्तमान मामले में, प्रत्यर्थी अभियुक्त द्वारा कथित रूप से इस्तेमाल किया गया हथियार हॉकी बरामद नहीं किया गया है।

4.6 अभियुक्त की ओर से पेश विद्वान वकील द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया गया कि अन्यथा भी, वर्तमान मामले में, मृतक की मृत्यु तीस दिनों के बाद हो गई और उसकी मृत्यु इलाज के दौरान सेप्टीसीमिया के कारण अस्पताल में हो गई, इसलिए मामला धारा 304 भाग II भा. द. वि. के तहत आ सकता है। संजय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2016) 3 एस. सी. सी. 62 के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर निर्भरता रखी गई है। इसलिए, भा. द. वि. की धारा 302 से भा. द. वि. की धारा 304 भाग 2 में दोषसिद्धि को बदलने के लिए वैकल्पिक रूप से प्रस्तुत किया जाता है। जवाब में राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री गरिमा प्रसाद ने कहा है कि आरोपी की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता द्वारा भरोसा किया गया संजय (उपरोक्त) के मामले में भी दोषसिद्धि को धारा 304 भाग I भा. द. वि. में बदल दिया गया था।

5. संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को विस्तार से सुना गया।

6. सहायक मंडल परिवहन अधिकारी द्वारा दिनांक 05.12.1980 को दर्ज मृत्यु कालीन कथन में कहा गया है कि छह/सात लोगों ने मृतक पर हमला किया। अभियोजन साक्षी-संख्या 5 हरि सिंह द्वारा दर्ज किया गया। प्रथमिकी में भी यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया था कि छह लोगों ने उसके भाई बंगाली पर हमला किया, जिन्होंने उसे हॉकी स्टिक और चाकू से मारा। यह सच है कि अभियोजन साक्षी-संख्या 5 हरि सिंह पक्षद्रोही हो गया। हालाँकि, साथ ही, हमें सहायक मंडल परिवहन अधिकारी द्वारा दिनांक 05.12.1980 को दर्ज किया गया मृत्यु कालीन कथन पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है। इस न्यायालय के लक्ष्मण (उपरोक्त) मामले के फैसले पर भरोसा कर आरोपी की ओर से पेश यह कथन कि जिस दिन मृत्यु कालीन कथन दर्ज किया गया था, कोई आपात स्थिति और/या उसकी स्थिति इस तरह नाजुक नहीं थी या उसके जीवन के लिए कोई खतरा नहीं था, और इसलिए, मृत्यु कालीन कथन दर्ज करने का कोई कारण नहीं था और इसलिए, मृत्यु कालीन कथन विश्वसनीय नहीं है, में कोई बल नहीं है। लक्ष्मण

(उपरोक्त) के मामले में जिसपर आरोपी की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता द्वारा भरोसा किया गया है, इस न्यायालय द्वारा इस तरह का कोई न्याय का सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया गया था कि, जब मृत्यु कालीन कथन दर्ज की गई थी, उस समय कोई आपात स्थिति और/या जीवन के लिए कोई खतरा नहीं था, मृत्यु कालीन कथन को समग्र रूप से त्याग दिया जाना चाहिए। वर्तमान मामले में, जैसे कि मृतक को चाकू से चोट लगी थी, इसकी संभावना थी उनके जीवन के लिए खतरा और इसलिए, विवेकानुसार, यदि मृत्यु कालीन कथन 05.12.1980 को दर्ज की गई थी, तो मृत्यु पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है, जो सहायक मंडल परिवहन अधिकारी द्वारा दर्ज किया गया था। इसलिए, हमारे विचार में विचारण अदालत ने 05.12.1980 पर सहायक मंडल परिवहन अधिकारी द्वारा दर्ज मृत्यु कालीन कथन पर सही ढंग से भरोसा किया है और/या विश्वास किया है।

6.1 मृत्यु कालीन कथन से यह पता चलता है कि पप्पु पुत्र बैजनाथ सहित छह से सात व्यक्ति नेमृतक पर हमला किया। इस प्रकार, मृत्यु कालीन कथन से अभियोजन पक्ष यह स्थापित करने और साबित करने में सफल रहा है कि सुभाष उर्फपप्पु पुत्र बैजनाथ घटना के समय मौजूद था; वह नाजायज मजमा का हिस्सा था और उसने अपराध करने में भाग लिया था।

7. यह सच है कि आरोप गठन करते समय, प्रतिवादी अभियुक्त धारा 302 सपठत 149 भा. द. वि. के तहत अपराध के लिए विशेष रूप से आरोपित नहीं किया गया था . हालाँकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि आरोप गठन करते समय, विचारण अदालत ने विशेष रूप से कहा कि आरोपी ने जानबूझकर और साशय बंगाली की जान लेकर हत्या कर दी और इस तरह भा. द. वि. की धारा 302 (04.05.1983 को बनाए गए आरोप के अनुसार) के तहत दंडनीय अपराध किया। अभिलेख से यह भी प्रतीत होता है कि प्रतिवादी-अभियुक्त पर भी दिनांक 04.05.1983 को बनाए गए आरोप के अनुसार भा. द. वि. की धारा 148 के तहत अपराध का आरोप लगाया गया था, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि आरोपी और अन्य लोग एक नाजायज मजमा के सदस्य थे और उस मजमा के सामान्य उद्देश्य यानी बंगाली की हत्या को पूरा करने में, एक घातक हथियार चाकू से दंगा करने का अपराध किया, अर्थात्ः बंगाली को चाकू मारने के लिए और इस तरह भा. द. वि. की धारा 148 के तहत दंडनीय अपराध किया। अभियुक्त के खिलाफ 04.05.1983 और 06.10.1983 पर बनाए गए आरोप इस प्रकार हैंः

" अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-X, आगरा के न्यायालय में।

सत्र वाद संख्या 361/1982

मैं, गंगू राम, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-X, आगरा

आप सुभाष चंद उर्फ पप्पु पर इस प्रकार आरोप लगाता हूँ

सबसे पहलेः - कि आप 04.12.1980 को दोपहर 3 बजे गाले की मंडी में फिरोजाबाद दक्षिण थाने के दायरे में नाजायज मजमा के सदस्य थे और उस मजमा के बंगाली को चाकू मार कर हत्या (घायल) करने के सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में घातक हथियार चाकू के साथ दंगा करने का अपराध किया

और इस तरह धारा 148 भा. द. वि. के अधीन दंडनीय अपराध को कारित किया

और इस न्यायालय के संज्ञान में ।

और मैं एतद्द्वारा निर्देश देता हूँ कि इस न्यायालय द्वारा आप पर उक्त आरोप का मुकदमा चलाया जाए।

तारीखः 4 मई, 1983

आरोप को हिंदी में पढ़ा और समझाया गया।
अभियुक्त ने अपना अपराध स्वीकार नहीं किया और विचारण का दावा किया।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-X, आगरा

तारीखः 4 मई, 1983

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-IX, आगरा के न्यायालय में।

सत्र वाद संख्या

361/82

मैं, जी. एल. गुप्ता, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-IX, आगरा

आप सुभाष चंद उर्फ पप्पु पर इस प्रकार आरोप लगाता हूँ

कि आप 4.12.80 को लगभग 3 बजे फिरोजाबाद शहर केमोहल्ला गाले की मंडी में फिरोजाबाद दक्षिण थानेजिला आगरा के दायरे में जानबूझकर और साशय बंगाली की मौत कारित कर हत्या कर दी हत्या की और इस तरह भा. द. वि. की धारा302 के अधीन दंडनीय अपराध कारित किया

और इस न्यायालय के संज्ञान में

और मैं एतद्द्वारा निर्देश देता हूँ कि इस न्यायालय द्वारा आप पर उक्त आरोप का मुकदमा चलाया जाए।

तारीखः Oct.6,1983 अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-IX, आगरा

आरोप को हिंदी में आरोपी को पढ़ा और समझाया गया जिन्होंने दोष स्वीकार नहीं किया और विचारण का दावा किया।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-IX, आगरा "

7.1 तय किए गए आरोपों से यह सुरक्षित रूप से कहा जा सकता है कि भा. द. वि. की धारा 149 और धारा 148 के तहत अपराध के तत्व विशेष रूप से आरोपी के ध्यान में लाए गए थी। इसलिए, अधिक से अधिक, इसे भा. द. वि. की धारा 149 के तहत विशेष रूप से आरोप नहीं लगाकर आरोप की दोषपूर्ण रचना कहा जा सकता है। इसलिए, मामले में धारा 464 द.प्र.स. आकर्षित होता है। धारा 464 द.प्र.स. निम्नानुसार है -

" 464. आरोप रचना में चूक, या अनुपस्थिति, या त्रुटि का प्रभाव –
(1) जब तक कि अपील, पुष्टि या पुनरीक्षण न्यायालय की राय में, वास्तव में न्याय की विफलता कारित नहीं हुई है सक्षम अधिकारिता न्यायालय का कोई निष्कर्ष, सजा या आदेश केवल इस आधार पर अमान्य नहीं माना जाएगा कि कोई आरोप नहीं बना था या आरोप में कोई त्रुटि, चूक या अनियमितता, जिसमें आरोपों का कोई गलत संयोजन भी शामिल है, था ।

(2) यदि अपील, पुष्टि या पुनरीक्षण न्यायालय इस राय का है कि न्याय की विफलता वास्तव में हुई है, यह हो सकता है

(क) आरोप तय करने में चूक की स्थिति में, आदेश दे कि आरोप तय किया जाए और आरोप तय होने के तुरंत बाद उस बिंदु से मुकदमे को शुरू किया जाए;

(ख) आरोप में त्रुटि, चूक या अनियमितता के मामले में, किसी भी तरीके से बनाए गए आरोप पर नए मुकदमे का निर्देश दे जो वह उचित समझता हैः

बशर्ते कि यदि न्यायालय की राय है कि मामले के तथ्य ऐसे हैं कि अभियुक्त के खिलाफ सिद्ध तथ्यों के संबंध में कोई वैध आरोप नहीं लगाया जा सकता है, वह दोषसिद्धि को रद्द कर देगा

7.2 द.प्र.स. की धारा 464 की व्याख्या करते हुए, इस न्यायालय ने फ़ैनुल खान (उपरोक्त) के मामले में कहा है कि आरोप तैयार करने में चूक या त्रुटि के मामले में, अभियुक्त को न्याय/पूर्वाग्रह की विफलता दिखानी होगी।

7.3 अन्नारेड्डी सांबशिव रेड्डी (ऊपर) के मामले में, अभियुक्त की ओर से यह प्रस्तुत किया गया था कि धारा 149 के तहत एक विशिष्ट आरोप के अभाव में, अभियुक्त व्यक्तियों को धारा 149 के तहत दोषी नहीं ठहराया जा सकता है क्योंकि धारा 149 एक विशिष्ट और अलग प्रावधान बनाती है। इस न्यायालय ने उक्त निवेदन को अस्वीकार कर दिया और कहा कि अपीलार्थी के खिलाफ बनाए गए आरोपों के बावजूद धारा 149 के तहत आरोप तय न करने से दोषसिद्धि को दूषित नहीं किया जा सकता है क्योंकि उनके खिलाफ कोई पूर्वाग्रह नहीं है। धारा 464 द.प्र.स. को ध्यान में रखते हुए यह पाया और अभिनिर्धारित किया गया है कि केवल भाषा, या कथन या आरोप के रूप में त्रुटि दोषसिद्धि को अस्थिर नहीं करेगा, बशर्ते कि आरोपी इसके द्वारा पूर्वाग्रहित न हो। यह भी देखा गया है कि यदि धारा के तत्व तय किए गए आरोप में स्पष्ट या निहित हैं तो इस तथ्य के बावजूद कि उक्त धारा का उल्लेख नहीं किया गया है, उसके संबंध में दोषसिद्धि कायम रखी जा सकती है।

8. उपरोक्त मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को इस मामले के तथ्यों पर लागू करने पर और अभियुक्त के खिलाफ 04.0संख्या 5.1983 और 06.10.1983 को बनाए गए आरोप की सामग्री को देखने पर पता चलता है कि भा. द. वि. की धारा 149 के तत्व संतुष्ट हैं। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि आरोपी आरोप में भा. द. वि. की धारा 149 का उल्लेख न करने से पूर्वाग्रहग्रस्त है।

9. अब, जहाँ तक अभियुक्त की ओर से निवेदन कि अभियुक्त द्वारा कथित रूप से इस्तेमाल की गई हॉकी स्टिक बरामद नहीं की गई है और इसलिए उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, का संबंध है, उपरोक्त में कोई सार नहीं है। सिर्फ इसलिए कि इस्तेमाल किया गया हथियार बरामद नहीं किया गया है, कार्यकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज मृत्यु कालीन कथन, जिसे अभियोजन पक्ष द्वारा साबित किया गया है पर भरोसा न करने का आधार नहीं हो सकता है।

10. अब जहाँ तक सवाल यह है कि क्या आरोपी को भा. द. वि. की धारा 149 की सहायता से धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध का दोषी ठहराया जा सकता है, का संबंध है, यह सच है कि अभियोजन पक्ष ने यह स्थापित और साबित नहीं किया है कि वास्तव में चाकू किसने मारा था। हालाँकि, अभिलेख पर चिकित्सा साक्ष्य और यहां तक कि डॉक्टरों के बयान से भी, अभियोजन पक्ष द्वारा यह स्थापित और साबित किया गया है कि मृतक को चाकू से चोट लगी थी, जो अपराध में भाग लेने वाले छह से सात व्यक्तियों में से एक द्वारा की गई थी। मृत्यु कालीन कथन से यह स्थापित और साबित किया गया है कि प्रतिवादी-आरोपी सुभाष उर्फ पप्पु नाजायज मजमा का हिस्सा था, जिसने अपराध करने में भाग लिया था। मृतक द्वारा मृत्यु कालीन कथन में प्रतिवादी-अभियुक्त पप्पु पुत्र बैजनाथ का नाम विशेष रूप से रखा गया था। इसलिए, भले ही प्रतिवादी-अभियुक्त की भूमिका मृतक को हॉकी स्टिक से मारने की थी, उस मामले में भी अन्य व्यक्तियों के कार्य के लिए, जो चाकू से वार करने के नाजायज मजमा का हिस्सा थे, प्रतिवादी अभियुक्त को भा. द. वि. की धारा 149 की सहायता से मृत बंगाली की हत्या करने का दोषी ठहराया जा सकता है।

11. अब, अगला प्रश्न, जिस पर इस न्यायालय द्वारा विचार किया जाना है यह है कि क्या प्रतिवादी-अभियुक्त को भा. द. वि. की धारा 149 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सकता है, जब मृतक की तीस दिनों की अवधि के बाद सेप्टीसीमिया के कारण मृत्यु हो गई थी।

11.1 संजय (ऊपर) के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर विचार करते हुए धारा 302 सपठत 149 भा. द. वि. के तहत दंडनीय अपराध के लिए प्रतिवादी आरोपी को दोषी ठहराना आवश्यक नहीं है और मामला भा. द. वि. की धारा 304 भाग I के अंतर्गत आ सकता है।

12. अब, जहाँ तक भा. द. वि. की धारा 148 के तहत अपराध के लिए प्रतिवादी अभियुक्त की दोषसिद्धि का संबंध है, प्रतिवादी अभियुक्त की ओर से यह मामला है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, धारा 148 आकर्षित नहीं होगा, जबकि आरोपपत्रित/आरोपित/ विचारित अभियुक्तों की संख्या संख्या पाँच से कम थी, इसमें कोई सार नहीं है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि शुरू से ही और मृत्यु कालीन कथन में भी उल्लिखित है कि मृतक पर छह से सात व्यक्तियों ने हमला किया।इसलिए, अपराध में छह से सात व्यक्तियों की संलिप्तता स्थापित और साबित हुई है। केवल इसलिए कि तीन व्यक्तियों पर आरोप पत्र दायर किया गया था/आरोप लगाया गया था/मुकदमा चलाया गया था और यहां तक कि तीन में से दो व्यक्तियों को बरी कर दिया गया था, यह प्रतिवादी को भा. द. वि. की धारा 148 के तहत दोषी नहीं ठहराने का आधार नहीं हो सकता है।

12.1 अभियुक्त की ओर से यह निवेदन किया गया है कि प्रतिवादी अभियुक्त द्वारा कथित रूप से इस्तेमाल किए गया हथियार को एक हॉकी स्टिक कहा गया था, जिसे एक घातक हथियार नहीं कहा जा सकता है और इसलिए, प्रतिवादी-आरोपी को धारा 148 के तहत अपराध के लिए दंडित नहीं किया जा सकता है। भा. द. वि. की धारा 148 के अनुसार जो कोई भी घातक हथियार या ऐसी किसी भी चीज जो अपराध के हथियार के रूप में इस्तेमाल करने पर मौत का कारण बनने की संभावना है, से लैस होकर दंगा करनेके लिए दोषी है, उस धारा के तहत दंडित किया जा सकता है। "दंगा" शब्द को भा. द. वि. की धारा 146 के तहत परिभाषित किया गया है। धारा 146 के अनुसार, जब भी किसी नाजायज मजमा द्वारा या उसके किसी सदस्य द्वारा ऐसे मजमा के सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में बल या हिंसा का उपयोग किया जाता है, तो ऐसे मजमा का प्रत्येक सदस्य दंगे के अपराध का दोषी होता है।

वर्तमान मामले में, छह से सात व्यक्ति नाजायज मजमा का हिस्सा थे और उन्होंने बल या हिंसा का इस्तेमाल किया और उनमें से एक ने घातक हथियार अर्थात् चाकू का इस्तेमाल किया और इसलिए, नाजायज मजमा का हिस्सा होने के कारण, प्रतिवादी अभियुक्त को दंगा करने और ऐसे नाजायज मजमा के सदस्य के रूप में बल/हिंसा का उपयोग करने के अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सकता है। इसलिए, प्रतिवादी को विचारण न्यायालय ने भा. द. वि. की धारा 148 के तहत अपराध के

लिए सही तरीके से दोषी ठहराया था।

13. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों के आलोक में, वर्तमान अपील आंशिक रूप से सफल होती है। भा. द. वि. की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए आरोपी को बरी करने वाले उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित फैसले और आदेश को इसके द्वारा रद्द किया जाता है। प्रतिवादी अभियुक्त को भा. द. वि. की धारा 304 भाग I सपठत धारा 149 और धारा 148 भा. द. वि. के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है।

प्रतिवादी अभियुक्त को धारा 304 भाग I सपठत धारा 149 के तहत दंडनीय अपराध के लिए 5,000 / - रुपये जुर्माने के साथ दस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई सुनाई जाती है और चूक होने पर आगे छह महीने सश्रम कारावास गुजारना होगा।

प्रतिवादी अभियुक्त को धारा 148 के तहत दंडनीय अपराध के लिए 5,000 / - रुपये जुर्माने के साथ तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई सुनाई जाती है और चूक होने पर आगे दो महीने सश्रम कारावास गुजारना होगा।

दोनों सजा साथ-साथ चला प्रतिवादी 4 सप्ताह के भीतर निर्णय और आदेश के अनुसार सजा का शेष भाग गुजारने के लिए हाजिर होगा ।

अपील आंशिक रूप से उपरोक्त सीमा तक अनुमत होती है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।

यदि कोई आवेदन लंबित हो, तो वह भी निपटाया जाता है।

मनोरंजन कुमार- II, अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, गुमला द्वारा अनुवादित